वर्ष 1 अंक 12 दिसंबर 1979 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मुखपत्र

चुनावों का सामना विवेक से कीजिए

चुनाव समीप आ रहे हैं और मेहनतकशों, कर्मचारियों तथा ट्रेड यूनियनों के रूप में संगठित अन्य सभी वर्गों-अध्यापकों और प्राध्यापकों को आगामी चुनावों में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सक्रिय होना होगा.

मेहनतकशों, ट्रेड यूनियनों और वामपंथी ताकतों को एकजुट होकर इंदिरा की तानाशाही और जनता पार्टी की सांप्रदायिक और रूढ़िवादी ताकतों को परास्त करना है.

खतरा बढ़ रहा है

सबको एकजुट होकर इंदिरा को सत्ता के निकट पहुंचने से रोकना होगा. यह खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों के नतीजों ने इंदिरा को अवसर प्रदान कर दिया है कि वह स्थायी सरकार का नारा उछाल सके. प्रजातंत्र विरोधी हरकतों के लिए कुख्यात बंसीलाल और संजय गांधी की वापसी हो रही है.

अभी संगठित ट्रेड यूनियनें तथा वामपंथी ताकतें इतनी ताकतवर नहीं है कि वे स्वयं इंदिरा और जनता पार्टी को हरा कर प्रजातंत्री ताकतों की सरकार बना सकें. अतः आने वाले चुनाव में इन दो ताकतों का विरोध करने वाले अन्य गठबंधन का साथ लेना होगा. वह लोकदल-कांग्रेस गठबन्धन है. जहां वामपंथी उम्मीदवार नहीं होंगे वहां इस गठबन्धन की सहायता करनी है.

वामपंथी एकता का प्रतीक

बंगाल तथा त्रिपुरा में मेहनतकश जनता वाम मोर्चे को विजयी बनाने में अपनी शक्ति लगायेगी. अन्य स्थानों पर इसका ठोस समर्थन और सहयोग वामपंथी उम्मीदवारों और सहयोगियों को प्राप्त होगा. संगठित कामगारों का वर्ग ही वास्तव में वामपंथी शक्ति के विकास का सूचक है. पश्चिम बंगाल में वामपंथी शक्तियों की एकता जिसमें सी. पी. आई. भी शामिल है का संगठित मेहनतकश आवाम स्वागत करती है. **तानाशाही और हिंदू सांप्रदायवाद का सामना चुनाव में वामपंथी ताकतों को मजबूत किए बिना जनता पर अपने प्रभाव को बढ़ाए बिना और संसद में अपनी शक्ति बढ़ाए बिना अच्छी तरह नहीं किया जा सकता.**

यह सच है कि कांग्रेस लोकदल गठबन्धन के लिए समर्थन मांगते समय मजदूर वर्ग और संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन को दिक्कत का सामना करना पड़ता है खास तौर से श्री चरण सिंह द्वारा कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के विरुद्ध दिए गए वक्तव्यों से परेशानी पैदा होती है. उनके सार्वजनिक क्षेत्र तथा बड़े उद्योगों के संबंध में विचार और उनका वक्तव्य कि उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले बड़े उद्योग को अपनी वस्तुएं घरेलू मंडी में बेचने

बी. टी. रणदिवे

नहीं दिया जाएगा. कामगारों तथा पूरे देश की जनता के हितों के विरुद्ध पड़ते हैं. **जब चरणसिंह उद्योगों से संबंधित कामगारों द्वारा अधिक लाभ उठाने और वह भी किसानों की कीमत पर, की बात करते हैं तो वह असत्य बोलते हैं. क्योंकि कोई व्यक्ति जब यह भूल जाता है कि मजदूरों का शोषण टाटा और बिड़ला कर रहे हैं, लाखों मजदूर शहरों की गंदी बस्तियों में जिंदगी बिता रहे हैं और जो व्यक्ति यह भूल जाता है कि जमींदारों और महाजनों द्वारा खेत मजदूरों और किसानों का शोषण हो रहा है वह व्यक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था पर सच नहीं बोल सकता.**

आंकड़े बोलते हैं

जनता शासन के दौरान योजना आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से मालूम हो जाएगा कि 1961 से कामगारों की औसत वार्षिक आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है :

वर्ष	वर्तमान कीमत पर औसत आय (रुपये)	1960-61 की स्थिर कीमतों पर आय कीमत = 100	प्रतिशत वार्षिक आय
1961	1413	1359	
1966	2145	1354	—0·07
1971-72	2761	1436	+
1976-77	4374	1453	+0·21

[शेष मध्य पृष्ठों पर]

सीटू संघर्ष फंड में और अधिक अनुदान

टिस्को मजदूरों द्वारा 10,000 रुपये

जमशेदपुर में 13 नवंबर को एक हाल में आयोजित विशाल जनसभा में टिस्को कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के. के. त्रिपाठी ने एक 10 हजार रुपये का चैक एम. के. पंधे को भेंट किया. उन्होंने अपने भाषण में वर्तमान राजनीतिक स्थिति और मजदूर वर्ग के कार्य पर प्रकाश डाला. जमशेद पुर में हाल ही में हुए सांप्रदायिक झगड़ों के बावजूद भी टिस्कों मजदूरों के बहुमूल्य योगदान के लिए उन्होंने मजदूरों को हार्दिक धन्यवाद दिया. इस अवसर पर नरेन्द्र मिश्र व नानाजी पांडे ने भी दो शब्द कहे.

बिसरामपुर मजदूरों द्वारा 8,300 रुपये

कोरबा क्षेत्र की पांच कोयला खानों के सीटू कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन 16 नवबर को कोरबा में हुआ. कोयला श्रमिक संघ के सचिव कामेश्वर सिंह ने उस क्षेत्र में सीटू की बढ़ती हुई गतिविधियों का उल्लेख किया. इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस प्रकार सक्रिय विरोधी यूनियनों के बावजूद सिर्फ सीटू ही 14 सितंबर को हड़ताल कराने में सफल हुई. भिन्न-भिन्न कोयला खानों में कार्यरत साथियों कोयला खान मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं तथा उन्हें सुलझाने के लिए एक आंदोलन की जरूरत पर प्रकाश डाला. उन्होंने मानिकपुर कोयला खान के प्रबंधक के कठोर व्यवहार की अलोचना भी की. मानिकपुर कोयला खान में प्रतिदिन हजारों टन कोयला जल जाता है किंतु प्रबंधक द्वारा इस आग को बुझाने की कोई कोशिश नहीं की जाती.

एम. के पंधे ने हाल ही के वेतन समझौते में सीटू की भूमिका को विस्तार से समझाया तथा मध्यप्रदेश के कोयला क्षेत्र में सीटू की गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए. सीटू की मध्यप्रदेश राज्य कमेटी के महासचिव एस. कुमार तथा कोयला श्रमिक संघ के महासचिव सुदेवन ने भी इस सम्मेलन में भाषण दिए.

शाम को इस सम्मेलन में हुए फैसले बताने के लिए एक आम सभा बुलाई गई एस. सुदेवन ने एम. के. पंधे को बिसराम पुर-चिरीमिरी क्षेत्र के कोयला मजदूरों के सीटू संघर्ष राशि को योगदान के रूप में 8,300 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट भेंट किया.

पहले 14 नवंबर को एच. एस. सी. एल. वर्कर्स यूनियन (कोरबा शाखा) ने अपने यूनियन दफ्तर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया था. मजदूर इस आयोजन में शामिल होने के लिए जुलूसों की शक्ल में आए. इसी दिन बालको मजदूरों की एक आम सभा बालको शहर में हुई.

एन.सी.ओ.ई.ए. द्वारा 6,500 रुपये

नेशनल कोल आर्गनाइजेशन एंप्लाईज एसोसिएशन के रांची (बिहार) में स्थित मुख्य कार्यालय के यूनियन सदस्यों ने मिलकर 6,500 रुपये इकट्ठा करके सीटू के संघर्ष फंड को भेंट दिए. यह राशि, इस यूनियन द्वारा, पहली किस्त के रुप में इकट्ठा की गई. सीटू ने इस सहायता के लिए मजदूरों को धन्यवाद दिया है.

बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों द्वारा 1,201 रुपये

कलकत्ता में 14 नवंबर को हुई बी. सी. सी. एल. कर्मचारियों की मीटिंग में कलकत्ता दफ्तर के कर्मचारियों ने सीटू संघर्ष राशि के लिए 1,201 रुपये जमा किए. यह चैक सीटू के सचिव एम. के. पंधे को दिया गया. बी. सी. सी. एल. कर्मचारी संघ के महासचिव अरुनालोक बैनर्जी ने हाल ही की वेतन वार्ता में सीटू की भूमिका की जोरदार शब्दों में प्रशंसा की. कर्मचारियों को उनके प्रशंसनीय योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए एम. के. पंधे ने उनका अपने इस संघर्ष को बकाया मांगों को पूरा कराने के लिए संगठित होकर जारी रखने के लिए आह्वान किया.

नाविकों की अखिल भारतीय हड़ताल

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने निम्नलिखित बयान 23 नवंबर को जारी किया:

सीटू नाविकों की मांगों का समर्थन करती है जिनमें अस्थाई श्रम व्यवस्था का खात्मा, बेरोजगारी भत्ता, आई. एल. ओ. के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन, दोहरी मेडिकल जांच को खत्म करना, जहाज के टनभार पर आधारित उचित मैनिंग स्केल, बोनस आदि शामिल हैं.

सारे भारत में, 28 नवंबर को नाविक एक दिन की हड़ताल पर जाएंगे क्योंकि केंद्रीय सरकार उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए कोई उचित कदम उठाने में असफल रही है. इसमें से कई मांगें तो सालों से पड़ी हुई हैं.

नाविकों की यूनियन को गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता देने की बजाय केंद्रीय सरकार एड-हाक आधार पर गैरहड़ताली यूनियनों को मान्या दे रही है और अमानवीय कार्य स्थितियां, भारतीय नाविकों पर थोपी जा रही हैं.

नाविक आधुनिकीकरण, आटोमेशन आदि के कारण बेरोजगार हैं लेकिन केंद्रीय सरकार उनकी शिकायतों को अनसुना कर रही है.

सीटू, भारत सरकार से इस मसले में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील करती है जिससे बातचीत द्वारा नाविकों की मांगों को पूरा किया जा सके.

सीटू सभी ट्रेड यूनियनों को भारतीय नाविकों के न्यायोचित संघर्ष को समर्थन करने की अपील करती है.

रेल मजदूरों के साथ विश्वासघात

सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे ने निम्नलिखित बयान 19 नवंबर को जारी किया

सीटू कुछेक रेलवे यूनियन नेताओं द्वारा हाल में हुए "बोनस" समझौते को ट्रेड यूनियन आंदोलन की जीत कहकर प्रचारित करने के प्रयासों की निंदा करती है. असलियत यह है कि इन रेलवे यूनियन नेताओं ने बोनस को स्थगित वेतन मानने की धारणा को ठुकरा कर और उसे उत्पादकता से जोडने की बात मानकर ट्रेड यूनियन आंदोलन और लडाकू मजदूरों के साथ दगा की है. इस तरह उन्होंने सरकार के दबाव के सामने घुटने टेक दिये हैं और निजी प्रबंधकों के हाथ मजबूत किये हैं जिससे कि वे मजदूरों पर आक्रमण करें और मजदूर आंदोलन के बल पर जीते गये 8.33% बोनस को उनसे छीन लें.

बोनस एक्ट में 8.33% बोनस देने की व्यवस्था की गयी है. चाहे उत्पादकता बढ़े या नहीं. यह इस बात की स्वीकृति थी कि भारत जैसे देश में, जहां अभी भी उपनिवेशी वेतन ढांचा बरकरार है, बोनस द्वारा वर्तमान वेतन स्तर और एक बेहतर जिंदगी के लिए जरुरी वेतन के बीच की खाई को कुछ हद तक पाटा जा सके. सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सिद्धांत को माना था. यह सब जानते हैं कि वर्तमान वेतन का मजदूरों की उत्पादकता से कुछ लेना-देना नहीं है तथा मजदूरों द्वारा जोड़ी गयी राशि की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है.

सरकार और मालिक बोनस को स्थगित वेतन मानने की धारणा को हटाने की मांग करते आ रहे हैं और बोनस को उत्पादन से जोड़ने की धारणा के पक्ष में कुछेक ट्रेड यूनियन नेताओं को तोड़ने की कोशिश करते रहे हैं. अब रेलवे फेडरेशन और सरकार के बीच यह जो समझौता हुआ है, यह एक आम प्रोत्साहन योजना है, तुम ज्यादा काम करोगे तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा मिलेगा और इसे बोनस कहिए. अनेकों उद्योगों में पहले से ही इस तरह की बढावा देनेवाली योजनाएं मौजूद हैं. लेकिन किसी ने अभी तक उन्हें ट्रेड यूनियन आंदोलन की समझ के मुताबिक बोनस के अधिकार के समान कहने की हिम्मत नहीं की. इस तरह की योजनाएं मजदूरों के स्वास्थ्य की कीमत पर उन्हें और अधिक चूसने की साजिशें हैं. लेकिन, वेतनों की जो दयनीय स्थिति है उसके कारण मजदूर बाध्य होकर इन योजनाओं को स्बीकार कर लेते हैं.

समझौते के अनुसार रेलवेमेंस फेडरेशन बोनस एक्ट के तहत बौनस को स्थगित वेतन मानने व 8.33% न्यूनतम बोनस मिलने के अधिकार, को ठुकराकर बोनस को उत्पादकता से जोड़ने की योजना पर सहमत हो गयी है. समझौते के अनुसार मजदूरों को 1977-78 के साल से अधिक उत्पादन दिखाकर ही बोनस मिल सकता है क्योंकि इसे आधार वर्ष स्वीकार किया गया है. ध्यान देने की बात यह है कि इस साल उत्पादन सर्वाधिक था. अगर किसी साल इस आधार वर्ष की तुलना में उत्पादन 90% से कम हुआ तो बोनस नहीं दिया जायगा. अगर उत्पादन 1977-78 के साल के बराबर रहा तो 25 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जायगा. अगर तुम कड़ी मेहनत करके 1977-78 के आधार साल से अधिक उत्पादन करोगे तभी तुम्हें बोनस मिलेगा. लेकिन, इसके साथ ही यह बात जोड़ दी गयी है कि "अगर तूफानों, बाढ़ों या अन्य प्राकृतिक कारणों से उत्पादन घटता है तो उसे बहाना नहीं बनाया जायेगा. रेल कर्मचारियों को इस घटत को पूरा करने के लिए साल के बाकी समय में विशेष प्रयत्न करने होंगे." रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री मैनेजिज के अनुसार यूनियनों ने यह शर्त मान ली है. अगर यह सच है तो यह ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए बड़ी शर्म की बात है.

रेलवे कर्मचारियों के बोनस की यही पूरी कहानी है. जनता पार्टी के 1977 के चुनाव घोषणापत्र में बोनस को स्थगित वेतन स्वीकार किया गया था. श्री चरण सिंह भी उनमें से एक थे. संयुक्त जनता पार्टी ने इसका उल्लंघन किया. लेकिन, अब काम चलाऊ सरकार ने भी इसे ठुकरा दिया है.

इसलिए इस समझौते में रेलवे कर्मचारियों ने जो पाया है, उस पर खुश होने या उत्सव मनाने की जरुरत नहीं है. यह वास्तविक बोनस योजना न होकर अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त पैसे की योजना है. और इस अतिक्ति पैसे के लिए भी इतनी पूर्व शर्तें लगायी गयी हैं कि मजदूर कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें पूरा नहीं कर सकते. इसलिए इसके तहत उन्हें बोनस मिलने का सवाल हीं नहीं उठता. इन दोनों फेडरेशनों के नेताओं ने रेलवे मजदूरों के साथ बहुत बड़ा बिश्वासघात किया है. 15 दिन का वेतन देने के आश्वासन से बहुत से मजदूरों को गलत-फहमी हो सकती है. इसलिए यह जरुरी है कि हम उन्हें पूरी सच्चाई से परिचित करायें. बोनस एक्ट के तहत सभी सरकारी कर्मचारी बोनस पाने के हकदार हैं. इसलिए डाक-तार विभाग और रक्षा विभाग के कर्मचारियों के बोनस को स्थगित वेतन मानने की योजना को ठुकराने और रेलवे मजदूरों को दी गयी इस "बोनस" योजना को स्वीकार करने से पहले गंभीरता से

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

रेलवे सुरक्षा दल की गुंडागर्दी

12 नवंबर को एसिस्टेंट सुरक्षा अफसर श्री शर्मा के नेतृत्व में 50 से 60 आर. पी. एफ. के लोगों ने, उत्तर पूर्वी रेलवे लखनऊ के चिरागबाग लोकोशेड में घुस कर, काम कर रहे रेलवे मजदूरों पर मनमाने ढंग से गोलियां चलाई और उन्हें मारा पीटा. यहां तक कि एक वरिष्ठ डी. एम. ई. या डाक्टर, जो आर. पी. एफ. के एक सदस्य व एक रेल मजदूर के बीच पहले हुए झगड़े की छानबीन कर रहा था, को भी नहीं छोड़ा. कुल मिलाकर 67 रेल मजदूरों को, जिनमें से लगभग 30 को गोलियां लगी हैं, हस्पताल में भर्ती हैं.

आर. पी. एफ. के इस कायरतापूर्ण हमले के विरुद्ध मजदूरों ने पूरे डिवीजन में काम बंद कर दिया. एल. आर. एस. ए. उत्तर-पूर्वी रेलवे के क्षेत्रीय सचिव आर. एम. सहाय ने समझौते के लिए बातचीत की. कहा जा रहा है कि इस समझौते को अधिकारी लागू नहीं कर रहे हैं और प्रतिक्रिया के तौर पर आर. पी. एफ. और पुलिस रेल कर्मचारियों को झूठे आरोपों में फंसाने का षड़यंत्र कर रहे हैं. एस. के. घर ने इस स्थिति की जानकारी पहले ही रेलवे बोर्ड के पास भेज दी है.

ठेका मजदूरों पर दमन

दानापुर डिवीजन के लोकोशेड में कोयला लादने व निकालने का काम करने वाले ठेके के मजदूर, झांझा के अपने गिरफ्तार नेताओं को छुड़वाने के लिए हड़ताल पर गये. इस हड़ताल के बाद नेताओं को जमानत दी गई और हड़ताल समाप्त कर दी गई लेकिन अधिकारियों ने गरहारा के मजदूरों को काम पर फिर से लेने से इंकार कर दिया. यूनियन के महासचिव ने ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर को चेतावनी दी है कि यदि इन मजदूरों को 6 दिसंबर तक काम पर वापस नहीं ले लिया गया तो मजदूरों के पास नौकरी की बहाली की मांग को लेकर कोई कार्यवाही करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहेगा.

सी.एस.आई.आर. कर्मचारियों ने मौजूदा आंदोलन वापस लिया

काउंसिल आफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के 25,000 कर्मचारी फेडरेशन आफ सी. एस. आई. आर. एंप्लाईज एवं मजदूर यूनियनों एंड एसोशिएशन्स के नेतृत्व में 30 अक्तूबर से धरना, भूख हड़ताल एवं प्रदर्शन आयोजित कर रहे थे. उन्होंने कार्यवाहियों का आयोजन सी.एस.आई.आर. के मुख्यालय और सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/म्यूजियम में किया.

कर्मचारी छंटनी समाप्त करने, वेतन मान में संशोधन करने बोनस और पूरे ट्रेड यूनियन अधिकारों की मांग कर रहे थे. लेकिन अधिकारियों ने इन समस्त मांगों को मानने से इनकार कर दिया. और बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाने की सभी कोशिशें बेकार साबित हुईं.

सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 3 नवंबर को अपने एक वक्तव्य में भारत सरकार और सी. एस. आई. आर. के अधिकारियों से अपील की कि वे अपने मौजूदा रुख को छोड़कर सभी उत्पन्न विवादों को फेडरेशन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझायें. उन्होंने सभी ट्रेड यूनियनों से अपील की कि वे सी. एस. आई. आर. कर्मचारियों की न्यायिक लड़ाई में उनका साथ दें.

सी. एस. आई. आर. कर्मचारियों की एकता ने अधिकारियों को 9 नवंबर को फेडरेशन के साथ वार्ता करने पर मजबूर कर दिया. सी.एस.आई.आर. के डाइरेक्टर जनरल ने फेडरेशन को आश्वासन दिया कि वे मांगों पर विचार करेंगे और छटनी के मामलों का निरीक्षण करेंगे. फेडरेशन मौजूदा आंदोलन को वापस लेने के लिए सहमत हुई. अधिकारी फेडरेशन से बातचीत करने और समय-समय पर मीटिंग बुलाने पर सहमत हुये, जिसे उन्होंने पहले ठुकरा दिया था. यह फेडरेशन की बड़ी जीत है. मान्यता के प्रश्न पर फेडरेशन से उसकी सदस्यता और अन्य चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गयी है.

रोहतास इंडस्ट्रीज में गैरकानूनी तालाबंदी का सीटू द्वारा विरोध

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया नगर के मजदूर 3 अक्तूबर से अपनी मांगों के समर्थन में संघर्षरत हैं व ओवर टाइम काम करने से मना कर रहे हैं. इससे पहले मालिकों ने, डालमिया वर्कर्स यूनियन (सीटू) के महासचिव व 6, अन्य कार्यकर्ताओं को मुअत्तिल कर दिया था. यूनियन ने 2 अक्तूबर को, छुट्टी के दिनों से संबंधित नियमों से कम वेतन पर काम करने से इंकार कर दिया था जिसके बाद उन्हें मुअत्तिल कर दिया गया. मालिकों ने इसे गैरकानूनी हड़ताल घोषित कर दी और विक्टिमाइजेशन शुरू कर दिया.

मैनेजमेंट ने बाद में दबावपूर्ण चालों और दमनात्मक उपायों का सहारा लिया और 22 अक्तूबर को इंडस्ट्री में गैरकानूनी तालाबंदी घोषित कर दी. सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 21 अक्तूबर को निम्नलिखित बयान जारी किया.

"सीटू, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डालमियानगर की मैनेजमेंट द्वारा 22 अक्तूबर को घोषित किए गये गैरकानूनी लाक आउट के खिलाफ, जिससे हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं और वनस्पति सीमेंट, पेपर आदि आवश्यक वस्तुओं के

[शेष पृष्ठ बारह पर]

प्रतिरोध संग्राम इंकलाबी दिशा देगा

17 अक्तूबर को फरीदाबाद में मजदूरों के कत्ले आम के खिलाफ पूरे हरियाणा में प्रतिरोध संग्राम दिन प्रति दिन तेज हो रहा है. इस हत्याकांड की न्यायिक जांच कराने, गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई, मजदूरों पर बनाए गए झूठे मुकदमों की वापसी, मृतक व घायलों के परिवारों को उचित मुआवजा दिए जाने, दफा 144 हटाने, दोषी पुलिस अधिकारियों तथा डी. सी. को सस्पेंड कराने तथा ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों पर हमले बन्द कराने आदि की मांगों को लेकर राज्य स्तर पर एक **हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष समिति** का गठन किया गया जिसके आह्वान पर 28 अक्तूबर को फरीदाबाद को छोड़कर पूरे हरियाणा में औद्योगिक हड़ताल हुई और 17 नगरों में विरोध सभाएं हुई.

दिल्ली में सीटू के नेतृत्व में मजदूरों ने 26 अक्तूबर तथा 17 नवंबर को हरियाणा भवन पर जुझारु प्रदर्शन किए. सीटू की गाजियाबाद जिला कमेटी ने 17 नवम्बर को एक विशाल प्रतिरोध रैली का आयोजन किया. दिल्ली राज्य कमेटी ने फरीदाबाद के मजदूर संघर्ष की सहायता के लिए फंड इकट्ठा करने का अभियान छेड़ा और सीटू से संबद्ध यूनियनों के प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक रुपया इस फंड में जमा करने का आह्वान किया.

विशाल जनसभाएं

इसी बीच 12 तथा 16 नवम्बर को हरियाणा के बड़े नगरों में विशाल जनसभाएं की गई और 17 नवम्बर को 6 किसानों तथा 5 मजदूरों ने दफा 144 तोड़कर नीलम चौक पार्क पर गिरफ्तारियां दी. हरियाणा मजदूर-किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर फरीदाबाद के मजदूर आंदोलन के समर्थन में गांवों से हजारों-हजारों किसान चलकर शहरों में आने लगे. विरोध सभाओं का तांता लग गया और पूरा हरियाणा "मजदूर-किसान एकता जिंदाबाद" तथा "भजनलाल की संघी सरकार को बर्खास्त करो" के नारों से हिल उठा. हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष समिति ने संघर्ष को और तेज करने के लिए 24 नवम्बर तक प्रतिदिन नीलम चौक, फरीदाबाद पर दफा 144 तोड़कर गिरफ्तारियां देने और 30 नवम्बर को हरियाणा के सभी जिला हैड क्वार्टरों पर विशाल धरने देने का ऐलान किया.

एटक ने पीठ में छुरा घोंपा

हरियाणा की संघी सरकार मजदूरों के समर्थन में हजारों-हजारों किसानों को मैदान में कूदते देखकर घबरा उठी. **हरियाणा की भजनलाल सरकार जब इस महान जनआंदोलन से कांप रही थी तो ठीक उसी समय ए. आई. टी. यू. सी. के दर्शन सिंह ने उस आंदोलन की पीठ में छुरा घोंप कर संघर्ष के साथ गद्दारी की. उसने एक्शन कमेटी की पीठ के पीछे हरियाणा सरकार के पास टेलीग्राम** देकर बातचीत करने का याचना पत्र भेजा. भजनलाल ने तुरंत खुर्शीद अहमद तथा नागर—दो मंत्रियों को बातचीत के लिए मुकर्रर कर दिया. दर्शन सिंह ने एक्शन कमेटी के फैसले के बिना एक समझौता हरियाणा सरकार से किया जिसमें एक भी मुख्य मांग नहीं मानी गई. केवल चुनाव से पहले के कुछ थोथे आश्वासन दिए गए. दर्शन सिंह एक्शन कमेटी के एक-दो सदस्यों को गुमराह करने में भी सफल हो गया. लेकिन सी. आई. टी. यू. प्रतिनिधि ने इस तथाकथित समझौते पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया.

हरियाणा किसान-मजदूर संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से इस तथाकथित समझौते की निन्दा की और संघर्ष को जारी रखने का फैसला किया. यह आश्चर्य की बात है कि इस किसान-मजदूर संघर्ष समिति में एटक के प्रतिनिधि, जो हरियाणा सी. पी. आई. के सेक्रेटरी भी हैं, ने भी इस तथाकथित समझौते को न मान कर संघर्ष जारी रखने के संघर्ष समिति के फैसले का समर्थन किया था. किंतु हरियाणा एटक के अध्यक्ष तथा फरीदाबाद एटक के लीडर इस समझौते के समर्थन में अखबारों में बयान पर बयान दे रहे हैं.

संघर्ष तेज होगा

हरियाणा किसान-मजदूर संघर्ष समिति ने इस तथाकथित समझौते को न केवल फरीदाबाद के मजदूरों से गद्दारी कहा है, बल्कि उसने इसे हरियाणा के उन किसानों के साथ भी धोखाधड़ी बताया है जो मजदूरों के समर्थन में अभी तक लड़ रही है. फरीदाबाद के मजदूरों ने हरियाणा किसान-मजदूर संघर्ष समिति के आह्वान पर संघर्ष को जारी रखने का फैसला लिया है. 3 दिसम्बर को फरीदाबाद में एक विशाल प्रतिरोध सभा आयोजित की जाएगी. किसान सभा तथा किसान सम्मेलन के कार्यकर्ता गांवों में घूम-घूम कर इस सभा का प्रचार कर रहे हैं. किसानों में जबर्दस्त उत्साह है. 5 दिसम्बर को सभी जिला हैड-क्वार्टरों पर मास धरने दिए जाएंगे. यदि तब तक भी न्यायिक जांच, मुकदमों की वापसी तथा गिरफ्तारों की रिहाई आदि मांगें पूरी न हुई तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा तथा हरियाणा बन्द का आह्वान किया जाएगा.

इस पूरे संघर्ष में मजदूरों के समर्थन में इतने बड़े पैमाने पर किसानों का मैदान में आना, उत्तर भारत के मजदूर आंदोलन में एक अभूतपूर्व घटना है. इस आंदोलन ने जिस मजदूर-किसान मैत्री की भावना को उभारा है, इसमें शक नहीं कि आने वाले दिनों में यह मजदूर किसान एकता उत्तर भारत के न केवल मजदूर आंदोलन बल्कि पूरे जनवादी आंदोलन को एक नयी इन्कलाबी दिशा प्रदान करेगी.

सभी भेदभावों के विरुद्ध एकजुट संघर्ष का आह्वान

साइप्रस की राजधानी निकोसिया में 15 से 19 अक्तूबर तक कामगार महिलाओं की समस्याओं पर चौथी विश्व ट्रेड यूनियन कांफ्रेंस संपन्न हुई. यह कांफ्रेंस, 1978 में प्राग में संपन्न नवीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय तैयारी समिति की ओर से आयोजित की गयी. इस सम्मेलन में 85 देशों के 106 केंद्रों तथा 21 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की 225 प्रतिनिधि महिलाएं शामिल हुईं. सीटू की ओर से विमल रणदिवे ने सम्मेलन में भाग लिया. उपस्थित महिलाएं उद्योगों, दफ्तरों तथा ट्रेड यूनियनों और ट्रेड यूनियनों के सहयोग से काम करने वाली महिला समितियों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं.

संयोजन समिति ने तीन दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनके विषय इस प्रकार हैं : (१) समाज और कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भूमिका तथा स्थान, (2) ट्रेड यूनियनों में महिलाओं की भूमिका तथा स्थान, (3) कामगार महिलायें तथा शांति. सीटू ने दूसरे दस्तावेज से संबंधित कमेटी में शिरकत की. इस कमेटी की अध्यक्षा क्रिस्टीन गिल्स थीं.

समस्याएं

विश्वभर में लगभग 56 करोड़ कामगार महिलाएं हैं जो कि पूरे विश्व की श्रमशक्ति का एक तिहाई है. इन महिलाओं की सामाजिक स्थिति अनेक आर्थिक, राजनीतिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताओं पर निर्भर करती है पूंजीवादी देशों की कामगार महिलाओं की हालत लगभग एक जैसी है किंतु पिछड़े देशों में स्थिति बदतर है.

अनेक वक्ताओं ने अपने-अपने देश के संदर्भ में बतलाया कि उनके यहां वेतन, पदोन्नति तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं के साथ किस प्रकार भेदभाव किया जाता है. रंगभेद की शिकार महिलाओं की दशा पर भी अनेक प्रतिनिधियों ने प्रकाश डाला.

आई.एल.ओ. प्रतिनिधि एकातेरीना ने बतलाया कि अनेक देशों में आई.एल.ओ. की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है. चिली की प्रतिनिधि ने वहां की फासिस्ट सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जनता वर्तमान शासकों के आगे घुटने नहीं टेकेगी.

अंतिम चार्टर

19 अक्तूबर को स्वीकृत अंतिम चार्टर में लगभग 15 महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए गए जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं : रोजगार की गारंटी और काम का अधिकार, कामगार महिलाओं के साथ भेदभाव पूर्ण नीति की समाप्ति, न्यूनतम वेतन और शिशु कल्याण आदि.

सीटू प्रतिनिधि ने संशोधन प्रस्तुत किए थे : चार महीने का प्रसूति अवकाश, महिलाओं को नाइट ड्यूटी पर न रखने तथा खानों के भीतर काम न देने के लिए कानून, तथा विजिलेंस कमेटियों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व— परंतु यह अंतिम दस्तावेज में शामिल नहीं किए गए.

समाजवादी व्यवस्था श्रेष्ठ

सम्मेलन में समाजवादी देशों की महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा. उन देशों की कामगार महिलाओं की स्थिति को देखते हुए अहसास होना स्वाभाविक ही था कि पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मे और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के बगैर कामगार महिलाओं के साथ न्याय संभव नहीं है.

सम्मेलन ने समूचे देश की रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से कार्यक्षेत्र, समाज और परिवार में महिलाओं के अधिकारों के लिए विश्व-स्तर पर एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की.

रोमानिया में ट्रे. यू. नेताओं का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार

रोमानिया की जरनल ट्रेड यूनियन कनफेडरेशन ने एशियायी देशों के ट्रेड यूनियन नेताओं का एक सेमिनार 17 से 27 अक्तूबर तक आयोजित किया. सेमिनार के लक्ष्य में विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापों पर भाषण व रोमानिया में ट्रेड यूनियनों की भूमिका शामिल था. सेमिनार में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य ने अपने देश में ट्रेड यूनियन आंदोलनों के बारे में अपना संक्षिप्त अनुभव पेश किया. कुछ औद्योगिक और कृषि संस्थाओं, बूकारेस्ट एवं दूसरे क्षेत्रों में वोकेशनल स्कूलों व प्रतिष्ठानों को देखने और मजदूरों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामूहिक प्रबंध समितियों के सदस्यों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम बनाया गया.

सीटू की ओर से महाराष्ट्र सीटू के महासचिव पी. के. कुर्णे ने सेमिनार ने भाग लिया. अपने भाषण में पी. के. कुर्णे ने भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की मुख्य समस्याओं और मजदूर वर्ग के आम मुद्दों पर बढ़ते हुए संयुक्त कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने इन संयुक्त कार्यवाहियों के निर्माण में सीटू की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया. वास्तविकताओं पर आधारित उनके भाषण की सेमिनार में भाग लेने वालों ने प्रशंसा की. पी. के. कुर्णे को बीमारी के कारण समय से पहले ही भारत लौटना पड़ा.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

फोन : 384071

विभागीय व्यापार में सामूहिक समझौते पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार

टी. यू. आई. आफ वर्कर्स इन कामर्स और चेकोस्लाव फेडरेशन आफ वर्कर्स इन कामर्स ने आई. एल. ओ. के सहयोग से विभागीय व्यापार में सामूहिक समझौते पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 9 से 11 अक्तूबर तक प्राग, चेकोस्लाविया, में आयोजित किया.

सेमिनार में 31 देशों के 37 कमर्शियल मजदूरों की ट्रेड यूनियनों के 71 डेलीगेटों व अतिथियों ने हिस्सा लिया. इसके अलावा डब्ल्यू. एफ. टी. यू., आई. एल. ओ., लातिन अमेरिकन कनफेडरेशन आफ वर्कर्स इन कामर्स (सी. ओ. एल. टी. आर. ए. सी.), आल अफ्रीकन फेडरेशन आफ वर्कर्स इन कामर्स (एफ. ए. टी. सी.) ने इस सेमिनार में भाग लिया. सेमिनार में जिन रिपोर्टों पर देर तक बहस हुई वे ये हैं : (1) आई. एल. ओ. के प्रावधानों की पृष्ठभूमि में सामूहिक सौदेबाजी. (2) सामूहिक सौदेबाजी के तरीके, (3) सामूहिक समझौते का रूप और (4) सामूहिक समझौते के प्रावधानों को लागू करने पर नियंत्रण.

बहस के दौरान वक्ताओं ने जहां सामूहिक सौदेबाजी फेल हो गयी है, चाहे वह कोई प्रतिष्ठान हो या कोई क्षेत्र हो या देश हो या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो, वहां के हड़ताली एवं संघर्षशील मजदूरों के साथ ट्रेड यूनियनों और मजदूर वर्ग की एकता और उन्हें शक्ति व समर्थन देने पर बल दिया. वक्ताओं ने साम्राज्यवाद के खिलाफ, जन स्वाधीनता के लिए, नये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध की स्थापना के लिए और निरस्त्रीकरण, विश्वशांति व सुरक्षा के लिए संयुक्त संघर्ष को और शक्तिशाली बनाने का भी आह्वान किया. डेलीगेटों ने उन्नत पूंजीवादी, विकासशील पूंजीवादी देशों और समाजवादी देशों के सामूहिक सौदेबाजी के अपने अनुभव बताये जिससे सेमिनार एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सका.

सेमिनार ने सुझाव दिया कि टी. यू. आई. को सेमिनार के निष्कर्षों को आगे बढ़ाना चाहिए और विभिन्न स्तरों पर सहयोग संबंधी कार्यवाहियों के लिए रास्ते और साधन तलाश करने चाहिए.

सीटू के अध्यक्ष सुधिन कुमार ने सेमिनार में सीटू के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, और बताया कि भारत में मजदूरों के सामने सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार में क्या-क्या बाधायें हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय मजदूर वर्ग अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एवं सहूलियतें हासिल करने के लिए अपने मालिकों से जो कि किसी भी कीमत पर उसका अधिकार देने को तैयार नहीं हैं, कितनी कठिन लड़ाई लड़ रहा है.

उन्होंने कामर्स व विभागीय ट्रेड के मजदूरों की मुद्रास्फीति के दौर में हासिल की गयी सुविधाओं की रक्षा के लिए बढ़ रही एकता पर जोर दिया.

ओ. एन. जी. सी. के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी

22 नवंबर को मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों व ओ. एन. जी. सी. प्रबंधकों के बीच श्रमिकों के वेतन के संबंध में एक समझौता हुआ. इस समझौते के परिणामस्वरूप दफ्तरों में कार्यरत मजदूरों के वेतन में 101 रुपये और 145 रुपये के बीच तथा परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों के वेतन में 115 रुपये और 175 रुपये के बीच बढ़ोतरी होगी. 1976 के आपातकाल के दौरान मजदूरों पर एक वेतन समझौता लागू किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निम्नतम स्तर के मजदूरों को वेतन में 50 रुपये या 55 रुपये का लाभ तथा उच्च स्तर वालों के वेतन में 2 या 3 रुपये की कटौती हुई. इस समझौते की पृष्ठभूमि में यह वेतन-वृद्धि अधिक संतोषजनक है. किंतु इसकी तुलना यदि इस्पात, कोयला 'भेल' तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में हुए वेतन-स्तर से की जाए तो ओ. एन. जी. सी. के मजदूरों को अगली बार जरूरत पर आधारित न्यूनतम या बराबर वेतन पाने के लिए इससे भी कठिन संघर्ष करना पड़ेगा.

यह कहना ठीक होगा कि त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल इकाइयों में नई मान्यता प्राप्त यूनियनों ने वार्ता में भाग लिया जिसका अधिकारियों पर भी प्रभाव पड़ा. जिस उन्नति नीति और अवरोध सहायता पर अन्य क्षेत्रों की यूनियनों ने पहले एक समझौता किया था उस पर इन दो यूनियनों का समझौता उनसे काफी बेहतर था. इस बार वेतन वार्ता के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जबकि इन यूनियनों को अपनी मांगों पर दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहनी पड़ी. यदि वे ऐसा दृढ़ रुख न दिखाते तो अधिकारीगण मजदूरों पर घटिया शर्तें लाद देते. इन दो यूनियनों के महासचिव की एक अपील में यह कहा गया है "हालांकि ओ. एन. जी. सी. के मजदूरों को पहले के समझौतों से कुछ अधिक प्राप्ति हुई है फिर भी वे जरूरत पर आधारित न्यूनतम या बराबर के उद्योगों के वेतन से अभी बहुत पीछे हैं" और यह भी, कि "कोयला इस्पात और भारतीय तेल निगम (आई. ओ. सी.) मजदूरों की भांति ही यदि हमने संगठित होकर सामना किया होता तो हम प्रबंधकों के इस जिद्दी व्यवहार को जरूर बदल पाते."

इन यूनियनों ने आशा प्रकट की कि वे आपस में संबंध बनाए रखेंगी जिससे कि अगली वेतन वार्ता के समय वे एक सामान्य मांग-पत्र प्रस्तुत कर सकें तथा एकजुट संघर्ष के लिए तैयार हो सकें.

तानाशाही और सांप्रदायिक शक्तियों को करारी शिकस्त दो

[मुखपृष्ठ से आगे]

क्या श्री चरण सिंह मुद्रा-वेतन और वास्तविक वेतन का अंतर नहीं समझते, क्या उन्हें किसानों को कहते रहना चाहिए कि मजदूरों को 400 रु. वेतन मिल रहा है जबकि स्थिर कीमतों के अनुसार उन्हें सिर्फ 100 रु. मिल रहा है. योजना आयोग के दस्तावेज के अनुसार 1961 से अब तक वास्तविक वेतन में महज 7% की बढ़ोतरी हुई है. मासिक वेतन भी 1960-61 की कीमतों के अनुसार 125 रु. से ज्यादा नहीं बनता है.

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की हालत भी ऐसी ही है. तीसरे वेतन आयोग के अनुसार चपरासी के वास्तविक वेतन में 1960 से 1972 तक 5% कनिष्ठ क्लर्क के वेतन में 9% तथा वरिष्ठ लिपिक के वेतन में 18% और असिस्टेन्ट के वेतन में 22% की वृद्धि हुई. वेतन सूचकांक इस प्रकार था—द्वितीय श्रेणी 63, वर्ग ए 56, वर्ग I बी 55, तथा वर्ग I सी 58.

इस दौरान पूंजीपतियों-इजारेदारों का मुनाफा करोड़ों रुपये बढ़ा है. चरण सिंह उनके बारे में क्यों चुप हैं? वह उनके मुनाफे को अधिग्रहण या उनपर सीमा क्यों नहीं लगा देते. नहीं वह तो मजदूरों के वेतन पर ही सीमा लगाना चाहते हैं.

दोहरा शोषण

किसान आज कर्ज से इतना दबा हुआ है जितना पहले कभी नहीं था. कौन जिम्मेदार है? सबसे अधिक शोषित खेत मजदूर का तो चरण सिंह शायद ही कभी उल्लेख करते हैं. उसका दोहरा शोषण होता है. मजदूर के नाते और अछूत के नाते. उक्त रिपोर्ट के अनुसार ही खेत मजदूर का वेतन 1960-61 में 1.43 रुपये था जो 1974-75 में 1.17 रुपये हो गया. 1977 में तो यह 1961 से भी 16 पैसे नीचे गया. जमीदारों के अपराधों को क्यों छोड़ दिया जाता है? किसानों तथा मजदूरों का ध्यान वास्तविक शोषकों की तरफ से हटाया क्यों जाता है?

चरण सिंह ने कोई कोशिश नहीं की

हम पूछना चाहते हैं कि जब अधिक भूमि हथिया कर ही किसानों का शोषण हो रहा है तो चौ. चरण सिंह इस विषय पर क्यों नहीं बोलते. वह किसानों को क्यों नहीं बताते कि यह उनके शोषण का मुख्य कारण है. क्या वह इस बात को नहीं जानते कि दस प्रतिशत धनी किसानों के कब्जे में गांवों की 50% भूमि है और बेहद गरीब 10 फीसदी किसानों के पास 0.1 फीसदी. हम जानना चाहते कि जब चौधरी सरकार में थे उन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया. क्या यह सच नहीं कि उनकी सरकार ने कांग्रेस प्रशासन द्वारा अतिरिक्त भूमि के गलत आंकड़ों को स्वीकार किया. 30 एकड़ की सीमा के बाद, योजना आयोग के अनुसार, दो करोड़ एकड़ से भी अधिक अतिरिक्त भूमि है. जनता पार्टी द्वारा चरण सिंह के वित्त मंत्रित्व काल में इस अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण तथा भूमिहीनों में वितरण के लिए क्या किया गया. कोई कोशिश नहीं की गई. जनता सरकार ने गरीबों को कोई भूमि नहीं दी. अत: चौधरी साहब को ग्रामीण जनता की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए.

हमारा दायित्व

चरण सिंह कुछ करें या न करें, कामगरों को तो ग्रामीण शोषितों के लिए संघर्ष करते रहना है. उन्हें खेतिहर मजदूरों की हर सम्भव सहायता करनी चाहिए जिससे वे अच्छा वेतन पा सकें. जोतने वाले को भूमि मिल सके, किसानों को कर्जे से मुक्ति मिल सके. उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिले जिससे कि वह पूंजीवादी बाजार और व्यापारियों की लूट से मुक्त हो सके.

चरणसिंह गांधीवाद का नाम लेकर, लघु उद्योगों तथा ग्रामीण विकास के द्वारा गांवों की समृद्धि का वादा करते हैं जो कि भ्रम है कोई भी देश केवल लघु उद्योगों के बूते समृद्ध नहीं हो सकता. लघु उद्योग का अर्थ ही है कम उत्पादन, कम वेतन और गुरबत. भारत में लघु उद्योगों का महत्व होते हुए भी इससे गरीबी की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता. सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक उत्पादन में समर्थ उद्योग ही जनता की समृद्धि के साधन हो सकते हैं. इसके अलावा श्री चरण सिंह को जानना चाहिए कि बिना बड़े उद्योगों के देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता का प्रबंध भी नहीं हो सकता. चुनाव किसानों को गुमराह करने का और राष्ट्र हितों की मान्यता व राष्ट्रीय सुरक्षा को छिन्न-भिन्न करने का मौका नहीं होना चाहिए. चरण सिंह इस बात से बहुत खिन्न हैं कि बैंक के चपरासी को 500 रु० माहवार मिलता है. वह यह नहीं सोचते कि आज 500 रु० की कीमत है क्या और इसके अलावा क्या वह यह भी जानते हैं कि अक्सर किसान के परिवारों से आए इस चपरासी की तनख्वाह से ही उसकी पैतृक भूमि महाजनों के चंगुल से बची रह पाती है?

मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों का समर्थन नहीं

चुनावों के दौरान संगठित कामगार तबके को ऐसी अनेक नीतियों और घोषणाओं से दो-चार होना पड़ेगा जिसका संबंध वेतन वृद्धि या बोनस के विरोध से होगा इन सबका विरोध करना होगा.

तब भी अन्य दो ताकतों को हराने के लिए जहां वामपंथी उम्मीदवार न हों लोकदल-कांग्रेस गठबंधन को समर्थन और वोट देना पड़ेगा. यह स्पष्ट है कि यह समर्थन प्रतिक्रियावादी कामगर विरोधी नीतियों के लिए नहीं बल्कि अन्य दो खतरों तानाशाही और साम्प्रदायिकता को हराने के लिए दिया जाएगा.

मजदूर वर्ग एक मजबूत शक्ति

मजदूर विरोधी नीतियों की चुनौती का सामना मजदूर वर्ग आंदोलन बखूबी कर सकता है. इस वर्ग की एकता से उत्पन्न शक्ति को कोई सरकार अनदेखा नहीं कर सकती. इसी कारण जबर्दस्त बहुमत वाली जनता सरकार भी औद्योगिक संबंध विधेयक तथा शिक्षा और चिकित्सा सेवा संबंधी विधेयक पास नहीं करा सकी.

नयी संसद में वामपंथी ताकतों की बढ़ी हुई शक्ति और जनता में व्याप्त प्रभाव ही मेहनतकश आवाम के अधिकारों की सुरक्षा की गारण्टी होंगे. अत: पूरा ध्यान इस ओर ही केन्द्रित करना होगा कि कांग्रेस (इ) तथा जनता को हराना है क्योंकि ये क्रमश: तानाशाही और साम्प्रदायिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करती हैं.

ग्रिंडलेज बैंक में देशव्यापी लगातार हड़ताल

ग्रिंडलेज बैंक एक विशाल विदेशी बैंक है जो भारत में 1863 से काम कर रहा है. इस समय भी भारत में काम करने वाले कुल 11 विदेशी बैंकों में भारतीय जमाकर्ताओं की कुल रकम का 60 प्रतिशत इसी एक बैंक में है. इसके कारण सभी विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ का 60 प्रतिशत केवल यह एक बैंक कमाता है.

कर्मचारियों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार : अपने लगातार विकास, फैलाव और प्रगति के बावजूद 1962 से ग्रिंडलेज बैंक ने अतिरिक्त रोजगार पैदा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया. इसके विपरीत तीव्र मशीनीकरण व 1973 से नई बैंकिंग सर्विसिज नीति के कारण 6 सौ स्थायी पदों को भी समाप्त कर दिया गया. यह घातक प्रक्रिया अब और भी तेजी से चलाई जा रही है. इसका असर एक ओर तो छोटे जमाकर्ताओं को बैंक की सुविधाओं से वंचित करने में तथा दूसरी ओर स्थायी पदों को भी समाप्त करने में हो रहा है. स्थायी पदों को समाप्त करने से बाकी बैंक कर्मचारियों पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है और वे परेशान हैं. इस प्रकार बैंकिंग सर्विसिज नीति का बैंक की रोजगार नीति से गहरा संबंध है. इसके अतिरिक्त बैंक उद्योग को लेबर इंटैंसिव सर्विस उद्योग माना गया है. किंतु बैंक की नीतियों के कारण यह कम श्रम वाला क्षेत्र बनता जा रहा है. इन नीतियों में ही बैंक के प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार व गलत संबंधों का जन्म होता है.

समझौते का उल्लंघन : 1973 से ही कर्मचारी समय-समय पर प्रदर्शनों और सांकेतिक हड़तालों द्वारा बैंक की नीतियों के प्रति अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं. विरोध को दबाने के लिए प्रबंधक दमन-चक्र चलाते रहे हैं. दमन की इन कार्रवाइयों में जायज ट्रेड यूनियन काम की मनाही, मीमो व चार्ज शीट जारी करने, मुअत्तिली, वेतन कटौती, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का विक्टिमाइजेशन आदि शामिल हैं. इस संदर्भ में पिछले साल अक्तूबर से दिसंबर तक एक देश व्यापी आंदोलन चला. 27 दिसंबर 1978 को आर. एल. सी. (केंद्रीय), बम्बई के सामने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. समझौते के अनुसार प्रबंधकों ने 1973 से जमा हो रही कर्मचारियों की शिकायतों व मांगों को मान लेना मंजूर कर लिया. किंतु इस समझौते का बैंक के प्रबंधक लगातार उल्लंघन कर रहे हैं. वे कर्मचारियों की मामूली मांगों को मानने में भी शर्तें रख रहे हैं. इन शर्तों में मशीनीकरण की प्रक्रिया को और व्यापक व तेज बनाना शामिल है. यदि कर्मचारी ये शर्तें मान लेते हैं तो इसका मतलबबैंक की बैंकिंग सर्विसिज व रोजगार नीति के आगे घुटने टेकना होगा. जाहिर है कि यह मजदूर-विरोधी कदम होगा.

वेतन में असामान्य विभिन्नता : बैंक के कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के

[शेष पृष्ठ बारह पर]

पोलिश ट्रे. यू. डेलिगेशन से बातचीत

एक चार सदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल, पोलिश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस के सचिव कामरेड जान पावटक के नेतृत्व में 6 नवंबर को सीटू सेंटर, नई दिल्ली में आया. प्रतिनिधि-मंडल के अन्य सदस्य थे लेग्निका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस के चेयरमेन पायोती सजाया, दि सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उपाध्यक्ष ब्रोनिस्लाव डोमागाला और भारत में पोलिश राजदूतावास के प्रथम सचिव डा. रिस्जर्ड सोल्स्की. इस प्रतिनिधि-मंडल का स्वागत एम. के. पंधे, नृसिंह चक्रवर्त्ती, विमल रणदिवे, टी. एन. नंबिराजन और विजेंद्र शर्मा ने किया.

दोनों पक्षों ने, दोनों देशों के ट्रेड यूनियन आंदोलन की भूमिका के बारे में विचार-विमर्श किया. दोनों पक्ष, बिरादराना संबंधों को और मजबूत बनाने, साहित्य के लेन-देन और नियमित रूप से संपर्क स्थापित करने के लिए सहमत हुए.

चटकल मजदूरों का तानाशाही व सांप्रदायिक ताकतों को हराने का आह्वान

बंगाल चटकल मजदूर यूनियन (सीटू) का 41वां सम्मेलन 29 अक्तूबर को गोलघर मैदान (जगतदाल) में संपन्न हुआ. एक हजार डेलिगेट, बिरादराना प्रतिनिधि व निरीक्षक इस सम्मेलन में शामिल हुए. सम्मेलन का उद्घाटन सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने किया. नीरेन घोष ने सम्मेलन की अध्यक्षता की. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य शाखा के सचिव व पोलिटब्यूरो के सदस्य प्रमोद दासगुप्त तथा वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंज के महासचिव श्री पोस्टोरिनो ने सम्मेलन व इसमें भाग लेने वाले डेलिगेटों को मुबारकबाद के संदेश भेजे. इस प्रकार के बधाई संदेश अब्दुल्ला रसूल (अखिल भारतीय किसान सभा), अरबिंद घोष (12 जुलाई कमेटी), एस. मुस्तफी (मरकैंटाइल फेडरेशन) तथा आर. एन. तिवारी (रायगढ़ जूट मिल की एटक यूनियन) की ओर से भी प्राप्त हुए.

सम्मेलन में जूट मजदूरों के साथ-साथ देश के तमाम मजदूर वर्ग की समस्याओं पर कई प्रस्ताव पास किए गए. इन प्रस्तावों में जूट मजदूरों के लिए 20 प्रतिशत बोनस की मांग, 21-सूत्री समझौते को जूट मालिकों द्वारा लागू करना, बंद मिलों को खोलना, सभी मजदूरों को ई. एस. आई. की सुविधाएं देना, फरीदाबाद के मजदूरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने का विरोध व आंध्र प्रदेश की चितवालासा व नेलीमारला जूट मिलों पर दमन का अंत करने के प्रस्ताव भी हैं. एक अन्य प्रस्ताव में सम्मेलन ने मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वह तानाशाही व सांप्रदायिकता का प्रतिनिधित्व करने वाली ताकतों को करारी शिकस्त दें.

सम्मेलन में नई कार्यकारी समिति का गठन हुआ. इस समिति के अध्यक्ष नीरेन घोष व महासचिव कमल सरकार चुने गए.

सम्मेलन के खुले अधिवेशन में 25 हजार से अधिक मजदूरों ने भाग लिया. अध्यक्षता नीरेन घोष ने की. इस अवसर पर सीटू उपाध्यक्ष व राज्य के मुख्यमंत्री ज्योति बसु, राज्य श्रम मंत्री कृष्णपद घोष, राज्य खाद्य मंत्री सुधिन कुमार, नीरेन घोष, कमल सरकार तथा अन्य लोगों ने भाषण दिए.

20 प्रतिशत बोनस की मांग पर जूट मजदूरों की सांकेतिक हड़ताल

20 प्रतिशत बोनस की मांग के लिए छेड़े गए संघर्ष के तीसरे चरण में 58 चालू जूट मिलों के ढाई लाख मजदूरों ने दो घंटे की सफल सांकेतिक हड़ताल की. यह हड़ताल 12 नवंबर को हर पाली में की गई. सांकेतिक हड़ताल का आह्वान जूट उद्योग में काम कर रही 11 ट्रेड यूनियनों ने मिलकर किया था. इन यूनियनों में बंगाल चटकल मजदूर यूनियन (सीटू) भी है. नक्सरपारा जूट मिल के मजदूरों ने इसी दिन प्रत्येक पाली में छः घंटे की अतिरिक्त हड़ताल भी की. उनकी मांग थी कि सरकार मिल को अपने हाथों में ले.

इससे पहले 21 सितंबर को राज्य की सभी जूट मिलों के मजदूरों ने प्रत्येक पाली में एक घंटे की सांकेतिक हड़ताल रखी थी. 10 अक्तूबर को इसी मांग के लिए हर मिल के प्रबंधकों के पास सामूहिक प्रतिनिधिमंडल भेजे गए. लेकिन बिरला, कानोरिया, गोयनका, बाजोरिया व बंगुर जैसे एकाधिकारी घरानों द्वारा चलाई जा रही मिलों के प्रबंधकों ने मजदूरों की इस जायज मांग को मानने से इंकार कर दिया. मजदूर इस निश्चय पर दृढ़ हैं कि मिल मालिक 20 प्रतिशत बोनस की मांग को नवंबर के महीने में ही नहीं मानते तो वे एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे.

लागन जूट मशीनरी के मजदूरों की छंटनी के खिलाफ हड़ताल

अपने 12 मजदूर साथियों की छंटनी के विरोध में तथा अपने 12-सूत्री मांग-पत्र के समर्थन में हुगली के लागन जूट मशीनरी कंपनी के मजदूरों ने 20 अक्तूबर को एक दिन की सफल हड़ताल की. मजदूर दिसंबर 1978 से ही अपने इस मांगपत्र के समर्थन में आंदोलन चला रहे थे. बदले की कार्रवाई के रूप में प्रबंधकों ने 12 मजदूरों की छंटनी कर दी. अप्रैल में राज्य के श्रम मंत्री ने प्रबंधकों को कहा था कि वे इन छंटनी किए गए मजदूरों को बहाल कर दें. प्रबंधकों ने उन्हें मजदूरों को एक महीने के भीतर वापस लेने का वायदा तो कर दिया परन्तु अब तक अपने वायदे को पूरा नहीं किया है. कई महीने के धरने के बाद सीटू यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों को 20 अक्तूबर की सांकेतिक हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा.

सी. आई. डब्ल्यू. टी. सी. के मजदूर लगातार हड़ताल पर

सेंट्रल इलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (भारत सरकार का संस्थान) के नाविक मजदूर 24 अक्तूबर से हड़ताल पर हैं. उनकी न्यायोचित मांगों में मजदूरी व महगाई भत्ते में वृद्धि, आठ घंटे प्रतिदिन काम तथा ड्यूटी के समय सस्ते दरों पर भोजन की व्यवस्था शामिल है. हड़ताल का आह्वान सी. आई. डब्ल्यू. टी. सी. (फ्लोरिंग यूनिट) बर्कर्ज यूनियन (सीटू) ने किया था.

मैरीन हाउस पर नाविकों का प्रदर्शन

फारवर्ड सीमैंज यूनियन आफ इंडिया (सीटू) के आह्वान पर कलकत्ता बंदरगाह के नाविकों ने 25 अक्तूबर को मैरीन हाउस (कलकत्ता) के सामने विशाल प्रदर्शन किया. एक आम सभा

भी हुई जिसमें यूनियन के अध्यक्ष एम. ए. सईद, यूनियन के महासचिव आशुतोष बैनर्जी तथा कलकत्ता पोर्ट एंड शोर मजदूर यूनियन (सीटू) के अध्यक्ष श्याम सुन्दर मिश्र ने भाषण दिए. आम सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके तहत नाविक मजदूरों ने फैसला लिया कि वे नवंबर में अपनी 9-सूत्री मागों के लिए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे. इस प्रस्ताव में सी. आई. डब्ल्यू. टी. सी. के नाविकों की हड़ताल के साथ एकजुटता भी जाहिर की गई.

यूनियन अध्यक्ष एम. ए. सईद, महासचिव आशुतोष बैनर्जी, प्रबंध सचिव एस. कांजीलाल तथा अन्य मजदूर नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अफसरों से मिला व उनसे अपने 9-सूत्री मांगपत्र पर बातचीत की. बातचीत चलने के दौरान दो हजार से अधिक नाविक मैरीन हाउस के सामने प्रदर्शन करते रहे. प्रदर्शन को उस समय स्थगित कर दिया गया जब प्रिंसिपल अफसर एन. चक्रवर्ती ने नाविकों की मांगों को कलकत्ता लाइनर्स कांफैंस (जहाज मालिकों की संस्था) को भेजना मंजूर कर लिया. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यूनियन के नेताओं के साथ 30 अक्तूबर को नाविकों में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर बातचीत की जाएगी जिसमें जहाजरानी के महानिदेशक भी उपस्थित रहेंगे.

कार्ड बोर्ड कर्मचारियों की जीत

68 दिन की लम्बी हड़ताल के बाद तारतोला (कलकत्ता) की कार्ड बोर्ड एंड पेपर प्रोडक्ट्स फैक्ट्री के मजदूरों ने उस समय भारी जीत हासिल की जब प्रबंधकों ने उनके साथ 26 अक्तूबर को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. राज्य के श्रम विभाग ने यह समझौता करवाने में सकारात्मक भूमिका अदा की. सीटू व एटक यूनियनों ने संयुक्त रूप से हड़ताल का नेतृत्व किया था.

समझौते के अनुसार मालिकों ने छटनी किए गए 42 मजदूरों में से 20 मजदूरों को तीन सप्ताह के भीतर व बाकी मजदूरों को 60 दिनों के अंदर वापस लेना मान लिया है. समझौते के अनुसार प्रबधकों ने मजदूरों को 20 प्रतिशत बोनस देना तथा 45 दिनों के भीतर मजदूरों के मांगपत्र को स्वीकार करना भी मान लिया है. 29 अक्तूबर को मजदूर एक विशाल विजय जुलूस में भाग लेने के बाद काम पर चले गए.

बीड़ी मजदूरों का देशव्यापी मांग दिवस

आल इंडिया बीड़ी एंड सिगार वर्कर्ज कमेटी ने 17 अक्तूबर को देशव्यापी स्तर पर मांग दिवस मनाया. कमेटी के आह्वान का देश भर के बीड़ी मजदूरों पर अच्छा असर हुआ. हम नीचे विभिन्न राज्यों में इस दिन मजदूरों की गतिविधियों की संक्षिप्त रपटें प्रस्तुत कर रहे हैं :

त्रिपुरा : अगरतला में त्रिपुरा बीड़ी श्रमिक संघ के नेतृत्व में 500 मजदूर जुलूस की शक्ल में श्रम मंत्री के कार्यालय पर गए और एक पांच-सूत्री मांगपत्र श्रम मंत्री बीरेन दत्त को दिया. बिशालगढ़, सुबामूरा उपखंड व उदयपुर उपखंड में भी मांग दिवस मनाया गया और इन स्थानों के विकास खंड अधिकारियों व श्रम अधिकारियों को पांच-सूत्री मांगपत्र दिए गए.

पश्चिम बंगाल : 24 परगना जिले में काकद्वीप व नामखाना में मांग दिवस मनाया गया. काकद्वीप में मजदूर विकास खंड अधिकारी के पास गए जबकि जामखाना में मजदूर पंचायत समिति कार्यालय पर गए.

कर्नाटक : मैसूर में मजदूरों ने अपना मांगपत्र एक सप्ताह पहले ही दे दिया था. इसके बाद सारे सप्ताह मुहल्ला सभाएं, जुलूस व धरने का कार्यक्रम चला. सप्ताह भर के कार्यक्रमों का समापन एक आम सभा की शक्ल में हुआ जिसमें एम. एन. उगरप्पा, मुहम्मद इस्माइल व सय्यद करीम ने भाषण दिए.

तमिलनाडु : वेलूर, गुदियाथान, वनियमबड़ी, रानीपेट, मद्रास शहर, तिरुपथुर और जोलारपेट में हजारों मजदूरों ने जिला कलक्टर तथा अन्य कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किए और मैमोरैंडम दिए.

महाराष्ट्र : मांग दिवस मनाए जाने के समाचार सांगली व मिराज से मिले हैं.

केरल : केरल स्टेट बीड़ी एंड सिगार वकर्ज फेडरेशन के नेतृत्व में छः जिलों में 21 स्थानों पर मांग दिवस मनाया गया. कन्नानोर शहर में चार हजार मजदूरों ने जुलूस निकाला. कोजिकोडे, मलप्पुरम, पालघाट, त्रिचूर और एर्नाकुलम जिलों में बीड़ी उत्पादन केंद्रों में मांग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया.

जूट मिल मजदूरों पर पुलिस दमन

सितम्बर 18 और 24 से हड़ताल पर गए नेलीमारला और चित्तवालासा के जूट मिल मजदूरों ने अपने पर हुए खुले अत्याचार का बहादुरी और एकता से मुकाबला किया तथा झुकने से इंकार कर दिया.

कांग्रेस(इ) सरकार की शह पर पुलिस ने नवंबर के पहले सप्ताह में नेलीमारला के 130 और चित्तवालासा के 20 मजदूरों को गिरफ्तार किया.

चित्तवालासा में पुलिस ने छः गांवों पर हमला किया, जहां हड़ताली मजदूर रहते थे. उन्होंने मजदूरों, यहां तक कि औरतों और बच्चों को भी बुरी तरह पीटा तथा मजदूरों में आतंक फैलाया. यह आतंक फैलाकर पुलिस उन्हें वापस काम पर जाने को मजबूर करना चाहती थी.

चित्तवालासा में सिर्फ पांच प्रतिशत और नेलीमारला में सात प्रतिशत मजदूर काम पर गए. मजदूरों ने पश्चिमी बंगाल के जूट मिल कर्मचारियों के बराबर दरों पर मजदूरी लेने की अपनी मांग को दृढ़तापूर्वक दोहराया तथा हड़ताल को बरकरार रखा.

याद रहे कि बंगाल चटकल मजदूर यूनियन ने 28 अक्तूबर के अपने इकतालीसवें वार्षिक समारोह में आंध्र प्रदेश के हड़ताली जूट कर्मचारियों के साथ अपनी

[शेष पृष्ठ बारह पर]

हरियाणा

कनकास्ट फैक्ट्री को बंद करने की नापाक कोशिश

हिसार की पालीस्टील वर्कर्ज यूनियन ने मांग की है कि उद्योग मंत्री का 2 नवंबर का वह वक्तव्य वापिस ले लिया जाए जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाली कनकास्ट लिमिटेड में हो रहे घाटे के लिए मजदूरों की यूनियन को जिम्मेदार ठहराया गया है.

यूनियन ने 2 नवंबर को दिए गए अपने वक्तव्य में कहा कि इस कंपनी के प्रबंधक सदा उन मजदूरों और स्टाफ सदस्यों को विक्टिमाइज करते रहे हैं जो कंपनी के अफसरों द्वारा किए जा रहे घोटालों के खिलाफ आवाज उठाते हैं. केवल दो वर्ष पहले इन्हीं उद्योग मंत्री महोदय ने पिछले दो प्रबंध निदेशकों को कंपनी के घाटे के लिए दोषी ठहराया था. वक्तव्य में कहा गया कि कंपनी का वर्तमान प्रबंधक निदेशक इन मत्री महोदय के बहुत करीब है और उसने ही मंत्री के आगे गलत आंकड़े प्रस्तुत करके घाटे की जिम्मेदारी मजदूरों पर डालने की कोशिश की है.

यूनियन ने मांग की है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कंपनी के काम की पूरी जांच कराई जाए. यूनियन को अंदेशा है कि यह सब एक सुनियोजित योजना के तहत हो रहा है जिसके अनुसार इस कंपनी को बंद करके इसे किसी निजी क्षेत्र के उद्योगपति को सौंपा जाना है. संभवत: ऐसे किसी उद्योगपति से आगामी चुनावों के लिए हरियाणा सरकार के कुछ मंत्रियों ने पैसा बटोर लिया है. इस नापाक योजना के पहले चरण में मजदूरों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं. यूनियन ने मांग की है कि इस धांधलेबाजी और उद्योग मंत्रालय में मौजूद आम गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार उद्योग मंत्री इस्तीफा दे. यूनियन ने आगे कहा है कि राजनीतिक कारणों के कारण इस इकाई को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए.

हिमाचल प्रदेश

राज्य तदर्थ समिति का गठन

राज्य सीटू का एक दिन का तैयारी सम्मेलन 30 सितंबर को सुंदर नगर (जिला मंडी) में हुआ. सम्मेलन का उद्घाटन सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने किया. सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष-मंडल का गठन किया गया जिसके सदस्य धनीराम, शाम लाल व चौहान थे.

अपने उद्घाटन भाषण में नृसिंह चक्रवर्ती ने सीटू के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दिया और संगठित संघर्ष के रास्ते को विस्तार से समझाया. हिमाचल राज्य किसान सभा के महासचिव ताराचंद ने सम्मेलन का अभिनंदन किया.

सात सदस्यों वाली राज्य तदर्थ समिति का गठन किया गया. समिति के संयोजक कुलदीप सिंह व कार्यालय सचिव सालिगराम निर्वाचित हुए.

मध्य प्रदेश

मजदूरों के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने अतिरिक्त श्रम आयुक्त श्री चंद्रकुमार सक्सेना के फैसले के विरोध में दी गई दामोह के बीड़ी मजदूरों की याचिका को दाखिल कर लिया है. इसके अनुसार प्रभुदास किशोरदास टोबेको प्राईवेट लिमिटेड तथा जसवंत प्रह्लाद बीड़ी कम्पनी के मालिकों को बरखास्त किए गए मजदूरो को बहाल करने तथा एक महीने के अंदर अदालत को इसकी सूचना देने का आदेश हुआ है.

इससे पहले मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की थी जिसके बाद दोनों कंपनियों के प्रबंधकों ने वहां गैर-कानूनी तालाबंदी घोषित कर दी थी. प्रबंधकों ने मजदूरों को बिना सूचित किए मुअत्तिल कर दिया था तथा उनकी जगह नए मजदूरों की भर्ती की थी. अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने अपना फैसला कंपनी के पक्ष में दिया था जिसे दामोह के जिला बीड़ी कर्मचारी सभा (सीटू) ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. हाई कोर्ट के अपने पक्ष में हुए इस फैसले से मजदूरों में उत्साह की लहर दौड़ गई है.

कर्नाटक

बंगलोर सीटू कानफ्रेंस

बंगलोर जिले की पहली सीटू कानफ्रेंस 14 अक्तूबर को बंगलोर में हुई. कर्नाटक राज्य सीटू के अध्यक्ष एस. सूर्यनारायण राव ने इसका उद्घाटन किया. दो सौ प्रतिनिधि इस कानफ्रेंस में शामिल हुए और 20 सदस्यों ने बहस में भाग लिया.

इस कानफ्रेंस में माइको, इलेक्ट्रो-मटैलर्जिकल फैक्ट्री, याथागुनी इस्टेट, बंगलौर होटल्स, स्टील और तार आदि के लड़ाकू मजदूरों को अपना समर्थन देने और बीमार सूती मिलों को बिजली की कटौती से छुटकारा दिलाने आदि की मांगों पर प्रस्ताव पास हुए.

इस कानफ्रेंस ने एक जिला कमेटी भी गठित की जिसमें एन. एल. उपाध्याय अध्यक्ष व टी. एस. अनंतराम सचिव चुने गये.

कल्याण सुविधाओं को लागू करने की मांग

कर्नाटक थोटा कर्मीकारा संघ (ए. आई. पी. डब्ल्यू. एफ., सीटू) की जनरल बाडी 31 अक्तूबर को सकलेशपुर में हुई. मीटिंग में उनकी मांगों, बागानों के सभी कानूनों को लागू कराने आदि के लिए कई प्रस्ताव पास किए गए. 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी चुनी गई और सी. नंजुंदप्पा इसके अध्यक्ष और वी. सुकुमार महासचिव चुने गए.

सीटू के नए प्रकाशन

'दि सीटू रिजाल्व्ज इन मद्रास'

(अंग्रेजी में)

सीटू के चौथे सम्मेलन की समीक्षा सम्मेलन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव

मूल्य : तीन रुपये

सम्मेलन के अन्य प्रकाशन

(अंग्रेजी व हिन्दी में उपलब्ध)

अध्यक्षीय भाषण

बी. टी. रणदिवे

मूल्य : रु० 1-00

महासचिव की जनरल रिपोर्ट

--पी. राममूर्ति

मूल्य : 75 पैसे

कार्य और संगठन की रिपोर्ट

एम. के. पंधे

मूल्य : रु० 1-00

फाइट यूनाइटिड्ली इन दि काज आफ इंडियन वर्किंग वूमेन

(अंग्रेजी में)

मद्रास में 9-10 अप्रैल, 1979 को हुए श्रमिक महिलाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट

मूल्य : दो रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6 तालकटोरा रोड,

नई दिल्ली-110001

और

नैशनल बुक एजेंसी (प्रा.) लि.

2, सूर्य सेन स्ट्रीट,

कलकत्ता-700013

इस्पात उद्योग के ठेका मजदूर संघर्ष की राह पर

इस्पात उद्योग के ठेका-मजदूरों की यूनियनों के प्रतिनिधियों की 10 नवंबर को बैठक बर्नपुर में हुई. इस बैठक में दुर्गापुर, अलाय स्टील, बर्नपुर, बोकारो, टिस्को, राऊरकेला स्टील प्लांट तथा एच. एस. एल. कोल वाशरीज के प्रतिनिधि उपस्थित थे. सीटू सचिव एम. के. पंधे तथा नृसिंह चक्रवर्ती ने विचार-विमर्श में भाग लिया तथा ए. चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में 32 सदस्य उपस्थित थे.

ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की स्थिति से संबंधित रिपोर्टों से निम्न बातें उभर कर आयीं :

एक्ट लागू नहीं किया गया : स्टील उद्योग तथा कोल वाशरीज में लगभग 60,000 ठेके पर काम करने वाले मजदूर हैं. इनमें से आधे लोग मशीन की सफाई, मरम्मत, लदान और उतराई जैसे कामों पर लगे हैं. यह ऐसे काम हैं जो सारे साल चलते हैं. स्टील एथारिटी आफ इंडिया (सेल) अधिकारी ठेका-मजदूर एक्ट लागू करने से इंकार करते ही हैं साथ ही ठेका मजदूरों को पूरे साल चलने वाले काम पर न लगा कर उन्हें स्थायी नहीं होने देते.

वेतन में असमानता : सभी इस्पात कारखानों में समान वेतन नीति लागू करने का आश्वासन भी अधिकारी नहीं देते. 'सेल' अधिकारी अपनी अहम् भूमिका से ठेकेदारों और मजदूरों के बीच उचित वेतन संबंधी समझौता करवा सकते हैं परंतु अपने कारखाने में उठ सकने वाली समस्या के कारण वे ऐसा नहीं करते. न सिर्फ इस्पात उद्योग के कर्मचारियों और ठेका मजदूरों के बीच ही यह असमानता है बल्कि विभिन्न कारखानों के ठेका मजदूरों के बीच भी वेतन की असमानता है. टिस्को में तो स्थिति बहुत खराब है क्योंकि प्रबंधक आदिवासियों के पिछड़ेपन का भरपूर शोषण कर रहे हैं.

सुरक्षा का इंतजाम नहीं : सब-कान्ट्रेक्ट प्रथा का खुलकर प्रयोग हो रहा है. आई. आई. एस. सी. ओ. बर्नपुर में तो कुछ बहुराष्ट्रीय संस्थाएं ठेकेदारी से मजदूरों का जबर्दस्त शोषण कर रही हैं. मजदूर बहुत ही नाजुक और घातक प्रकार का काम करते हैं परंतु ठेका मजदूरों को कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते.

घातक हमले : ठेकेदार हर संभव उपाय से मजदूरों को बंधक मजदूर बनाए रखना चाहते हैं. जब भी उन्हें संगठित करने का प्रयास किया जाता है तभी नेताओं पर या तो हमले आरंभ हो जाते हैं या उन्हें पुलिस की सहायता से दबा देने का यत्न किया जाता है. नौकरशाही का एक हिस्सा पूरी तरह ठेकेदारों का सहयोगी है.

बैठक में तय किया गया कि ठेका-मजदूरों की समस्याओं को एन. जे. सी. सी. में उठाया जाए तथा इस्पात उद्योग के प्रबंधकों की नीतियों का पर्दाफाश किया जाए. मजदूरों की दुर्दशा की ओर श्रममंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराने का फैसला भी लिया गया. तय किया गया कि ठेका मजदूरों की हालत पर एक ज्ञापन तैयार किया जाए तथा सीटू की यूनियनों की ओर से पर्चा निकाल कर मजदूरों का आह्वान किया जाए कि वे ठेकेदारों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ें.

'भेल' में समझौता

[पृष्ठ तेरह से आगे]

तैयार करने के लिए 29-30 नवंबर को दिल्ली में संयुक्त कमेटी की एक मीटिंग बुलायी जायेगी.

इस समझौते से हुई बढ़ोत्तरी के बावजूद यह बढ़ोत्तरी स्टील कर्मचारियों की न्यूनतम बढ़ोत्तरी की तुलना में कम है, लेकिन उच्च श्रेणियों के कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी स्टील कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी से अधिक है.

ग्रेट ब्रिटेन में हड़ताली दिन तीन गुना हुए

ग्रेट ब्रिटेन में हाल ही की जबरदस्त हड़ताली लहर से, खास तौर से इंजीनियरिंग उद्योग में चुनी-चुनी हड़तालों से अगस्त महीने में 41,83,000 दिन काम बंद रहा. एक समाचार पत्र 'एंप्लायमेंट गजट' के अनुसार एक हड़ताल में 13,22,900 मजदूर शामिल हुए थे.

इस वर्ष के पहले आठ महीनों के हड़ताली दिनों की संख्या पिछले वर्ष के उसी दौरान के हड़ताली दिनों से लगभग तीन गुना (42,09,000 से 1,22,80,000) हो गई. इसी दौरान हड़तालों में भाग लेने वाले वाले मजदूरों की संख्या पांच गुना से भी अधिक, यानि 7,07,400 से 37,61,300, हो गई हालांकि हड़तालों की संख्या 1,553 से कम होकर 1,402 रही.

रेल बोनस.....

[पृष्ठ तीन से आगे]

इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए.

इसी दौरान, एल.आर.एस.ए. के महासचिव एस. के. घर, डी. आर. ई. यू. के अध्यक्ष के. आनंदनम्बीयार और रेलवे एंप्लाईज कनफेडरेशन के महासचिव एन. एस. भंगू ने, पेमेंट आफ बोनस एक्ट के अधीन दिया जाने वाले बोनस के स्थान पर नये बोनस की स्कीम के विरोध में बयान जारी किए.

महिलाओं का लगातार शोषण

विकासशील देशों में कार्यरत महिलाएं 50% खाद्यान्न का उत्पादन करती हैं किंतु जिन छोटी फसलों की खेती वह करती हैं उनमें कृषि विकास की सहायता योजना उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं देती हैं. जहां तक वेतन का सवाल है पुरुष और महिलाओं के वेतन का अंतर 40 से 60 प्रतिशत तक है.

उदाहरण के लिए अमरीका में यह अंतर 1955 से लगभग दोगुना हो गया है. खेतों में पुरुष के मुकाबले महिलाओं का वेतन 43 प्रतिशत कम तथा अश्वेतों में 35% कम है. यह संयुक्त राष्ट्र के समाज विकास तथा मानवीय कार्य केंद्र को इस वर्ष (1979) को "विश्व में नारी की स्थिति" पर रिपोर्ट का निष्कर्ष है.

पुलिस आरोप वापस लेने की मांग

एच. एस. सी. एल. एंप्लाईज एसोसिएशन की एक्जीक्यूटिव कमेटी की 14 अक्तूबर को के. रामदास अचनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. एक प्रस्ताव में इसने सरकार से 14 सितंबर को हुई एक दिन की हड़ताल से संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गये आरोप को वापस लेने का अनुरोध किया. इस समिति ने प्रबंधकों की छटनी की नीति का भी विरोध किया और मजदूरों की सभी श्रेणियों को स्थायी करने का अनुरोध किया.

रेलवे सुरक्षा पुलिस के हमले के शिकार कुछ रेलवे कर्मचारी हस्पताल में [रिपोर्ट पृष्ठ 4 पर]

संपादक मंडल
बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)
पी. राममूर्ति
मनोरंजन राय
निरेन घोष
सुविन कुमार
एम. के. पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित